

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाएँ राज. जयपुर

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम जयपुर-302005 ई-मेल-add4ng@gmail.com दुरभाष संख्या-0141-2222683

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-बीकानेर/513/2025/96

दिनांक:- 18.02.2025

-: आदेश :-

सावित्री मेघवाल,(परिविक्षाधीन) महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, श्रीडूंगरगढ, बीकानेर, के स्वयं के द्वारा प्रस्तुत जीए-45 के आधार पर निम्नानुसार अवकाश एतद् द्वारा स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं	दिनांक से	दिनांक तक	अवधि दिवस	अवकाश का प्रकार
1.	04.10.2020	14.10.2020	11 दिवस	असाधारण अवकाश
2.	14.11.2020	26.11.2020	13 दिवस	असाधारण अवकाश
3.	01.08.2021	15.08.2021	15 दिवस	असाधारण अवकाश
कुल दिवस:-			39 दिवस	

नोट:-कार्मिक द्वारा एक माह से अधिक अवधि के अवकाश का उपभोग किये जाने के फलस्वरूप वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक F.1(2)FD(Rules)/06/Part-1 दिनांक 06.01.2020 के अनुसरण मे असाधारण अवकाश की सीमा तक (39 दिवस) उनके परिवीक्षाकाल मे अभिवृद्धि की जावेगी।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित हैं।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-ई-20/नर्सिंग/जोन-बीकानेर/513/2025/96

दिनांक:- 18.02.2025

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निजी सचिव, संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-बीकानेर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बीकानेर।
5. सम्बंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
6. सावित्री मेघवाल, एएनएम, (परिवीक्षाकाल) को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय आदेश को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड करे।
9. रक्षित/आदेश प्रत्रावली।

Document certified by RAKESH KUMAR SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation: Director
Date :18-02-2025 02:23:20